बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पटना, दिनांक 17/05/2013

पत्रांक 148618

ग्रा.वि.-7(आं0)-16/2012

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह जिला कार्यक्रम समन्वयक,

विषयः- **मनरेगा अन्तर्गत आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर परिवारों यथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति परिवारों, महिलाओं विकलांगों आदि की भागीदारी सुनिश्चित करने के संबंध में ।**

महाशय,

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए आजिविका की सुरक्षा प्रदान करना है । इस क्रम में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर परिवारों यथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति परिवारों, महिलाओं विकलांगों, 65 वर्ष से उपर आयु के व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास किया जाना है । भारत सरकार द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा-निर्देश (MGNREGA Operational Guidelines, 2013) के अध्याय-9 में इन वर्गों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रावधान किये गये हैं ।

2. मनरेगा अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि कम से कम एक तिहाई लाभान्वित महिलाऐं होनी चाहिए ।
3. राज्य में सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत अत्यधिक बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण की योजना चल रही है जिसमे वृक्ष लगाने तथा वृक्ष संपोषण के कार्य में रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है । इस योजना में अन्य कार्यो से कम प्रयास निहित है तथा उपरोक्त श्रेणी के लोगों के लिए उपयुक्त है ।
4. उपरोक्त वर्गो की समुचित भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह मार्गनिर्देश दिया जाता है कि संपोषण के कार्यो में लगे हुए वनपोषकों में कम से कम 50% वनपोषक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की महिलाऐं अथवा विकलांग होने चाहिए । इसमें भी प्राथमिकता महादलित वर्ग की महिलाओं / विकलांगो को दी जाए ।
5. तद्नुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामाजिक वानिकी के योजनाओं के संपोषण में लगे हुए मजदूरों को कार्य आबंटित करते समय इस दिशा-निर्देश का अनुपालन सभी ग्राम पंचायतें अनिवार्यतः करेंगी ।
6. कार्यक्रम पदाधिकारी इसका पर्यवेक्षण सुनिश्चित करके अनुपालन करायेंगे ।
7. जिला कार्यक्रम समन्वयक समीक्षा के क्रम में इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा इसके सतत् अनुश्रवण के लिए एक नोडल पदाधिकारी नामित करेंगे ।
8. इस निर्देश का अनुपालन सभी जिलों में माह जून, 2013-14 से MIS पर दृष्टिगोचर होना अनिवार्य है ।
9. इस परिपत्र को ग्राम पंचायतों की कार्यकारिणी समिति की बैठकों / पंचायत समिति की बैठकों में पढ़कर सुनाया जाय तथा तद्नुसार कार्यवाही में अंकित किया जाय ।

विश्वासभाजन

16/5/13

(अमृत लाल मीणा)
सचिव

Pr-126